S.S. DEMAND LETTER 2017-18 P

आविप्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

मैप सं0–20180918171128243 दिनांक– 15/12/18

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता(भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री भगत सिंह बघेल
निवासी–जवाहर नगर, बाईपास रोड,
आगरा।

विषयः खसरा संख्या–20 भाग, मोजा दहतोरा, आगरा के मांग पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत **ले–आउट** मानचित्र पर निम्नानुसार शुल्कों की गणना कर स्वीकृत कर दिया गया हैः–

1. निरीक्षण शुल्क	रू.	1,31,553.00
2. लेबर शुल्क	रू.	61,450.00
3. बाहय विकास शुल्क	रू.	1,17,64,895.00
4. शेल्टर फीस शुल्क	रू.	24,87,100.00
5. रेन वाटर शुल्क	रू.	2,00,000.00

शर्तें / प्रतिबन्ध

1. निर्माण सामग्री अथवा मलबा को मैटल्ड रोड पर स्टोर नही किया जायेगा। मैटल्ड रोड से अलग निर्माण सामग्री को एकत्र करने हेतु स्थल का चिन्हाकंन करना होगा।
2. निर्माण कार्य भवन उपविधि में निर्धारित योग्यता रखने वाले दक्ष अभियन्ता तथा वास्तुविद् की देखरेख में कराना होगा, ताकि भवन की सरंचनात्मक सुरक्षा तथा भूकम्परोधी व्यवस्था उनके द्वारा सुनिश्चित की जाये।
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन–2010 के अनुसार आवेदक / भवन स्वामी निर्माण स्थल, सड़क, गली व कालोनी में स्थित निर्माण सामाग्री को ढक्कर रखवायेगा तथा भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण ऐसे स्थान पर किया जाये कि वह उड़कर हवा में न फैले। आवेदक को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन–2010 में निहित समस्त निर्देशों का अक्षशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. भवन निर्माण सामग्री के आवागमन हेतु प्रयोग होने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर लाया व ले जाया जायेगा तथा वाहनों से उतारने के बाद आवश्यक साफ–सफाई की जायेगी।
5. ऐसे कर्मचारी जो स्थल पर निर्माण कार्य कर रहे है अथवा निर्माण सामग्री को चढ़ाने व उतारने का कार्य करते हैं, विकासकर्ता द्वारा उन्हें मास्क उपलब्ध कराये जायेगें ताकि डस्ट उनके स्वास्थय में न जायें तथा ऐसे कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा व आवश्यक जांच व उपचार की उचित व्यवस्था किया जाना होगा।
6. पत्थर काटने व ग्राइण्डिंग का कार्य करते समय पर्यावरण में डस्ट पार्टिकल न उड़कर जायें, उसकी उचित व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित करवायी जायेगी तथा निर्माण स्थल पर हवा को रोकने के लिए दीवार आदि भी बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

7. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माणाधीन स्थल पर मानचित्र का परिमट संख्या, स्वीकृति दिनांक, सम्पत्ति संख्या व नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
8. निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों के फीकल स्लज को सुरक्षित निस्तारण हेतु स्थल पर शौचालय/मोबाइल शौचालय की व्यवस्था करनी होगी।
9. भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद–विवाद होने की स्थिति में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर सीवर का संयोजन सीवर लाईन में करना होगा।
11. आवेदक को समस्त विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में लगायी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा पक्ष द्वारा इस आश्य का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़क,सीवर,नाली, आन्तरिक विधुतीकरण, जलापूर्ति, लैण्ड स्केपिंग आदि पक्ष को स्वयं करने होगें तथा नियमानुसार बैंक गारण्टी अथवा भूखण्ड बंधक रखने होंगे। भविष्य में आन्तरिक विकास कार्यों का रख–रखाव विकासकर्ता/वेलफेयर सोसायटी द्वारा किया जायेगा।
13. स्थल पर भवन उपविधि के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण करना होगा।
14. भवन का प्लिन्थ तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर भवन स्वामी/निर्माणकर्ता स्थल के जी0पी0एस कॉआडीनेटस, तिथि एंव समय के साथ डिजिटल फोटोग्राफ आगरा विकास प्राधिकरण को अपलोड कर प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ इस आश्य का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि मौके पर फोटोग्राफस के अनुसार ही निर्माण किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र भवन निर्माण एंव विकास उपविधि के प्रस्तर–3.1.1 के अर्न्तगत अनुज्ञा से छूट से इतर निर्माण कराया गया है तो आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सील किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं होगी और उसके लिये वह किसी कार्य की क्षति पूर्ति का दावा नहीं करेगा।
15. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माणधीन स्थल पर मानचित्र का परमिट संख्या, स्वीकृति दिनांक, सम्पत्ति संख्या व नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार धनराशि पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा कराने का कष्ट करें, जिससे आपका मानचित्र निर्गत किया जा सके। निर्धारित समय में वांछित धनराशि एवं औपचारिकताऐं पूर्ण न करने पर बिना किसी अन्य सूचना के मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

15/5/18

अधिशासी अभियन्ता(भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।